# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी संख्या :–01/2011

1–महेन्द्र सिंह } पिस0 हीरालाल
2–मानसिंह
3–दिलीपसिंह
4–रमेश } पिसरान टोहरसिंह
5–प्रतापसिंह
6–गुलाबसिंह

} जाति जाट निवासी सुनारी तहसील व जिला भरतपुर

..................... निगरानीकर्ता

**बनाम**

भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र सुनारी पंचायत समिति सेवर ग्राम पंचायत सुनारी तहसील व जिला भरतपुर

................उत्तरवादी

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुनारी दिनांक 28.03.2011 अन्तर्गत प्रकरण पटटा नियम 162 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996**

**निर्णय**

सत्यमेव जयते

**दिनांक 19.06.2019**

Web Copy Not Official

निगरानीकर्तागण के अन्तर्गतधारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुनारी दिनांक 28.03.2011 अन्तर्गत प्रकरण पटटा नियम 162 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि निगरानी कर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड (गैत/नौहरा) को ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की नियम 162 के अन्तर्गत 100′ गुणा 45′ क्षेत्रफल भू–भाग का उत्तरवादी के पटटा करने का आदेश दिया है जिससे निगरानी कर्तागण के अधिकार प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्य विरूद्ध है। इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा निगरानी कर्तागण संख्या 1 व 2 के हक में 80 गुणा 72 वर्गफुट का व निगरानीकर्ता संख्या 3,4,5 व 6 के हक में 96 गुणा 72 वर्गफुट का नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पुराना कब्जा व स्वामित्व मानते हुये दिनांक 07.07.03 को पटटा मकान हेतु दिया है और नियमानुसार पटटा शुल्क जमा कराकर निगरानी कर्तागण के हक में पृथक–पृथक पटटे जारी किये है इस प्रकार निगरानी कर्ता विवादित भूखण्ड के स्वामी एवं आधिपत्य धारी है अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना सुने खण्डानाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है।

निगरानी कर्ता संख्या 1 व 2 को किये गये पटटे के निम्नलिखित हददू अर्वा है–

उत्तर–82 फुट इधर सडक आम सरकारी
दक्षिण– 82 फुट इधर खेत श्री होरीलाल
पूर्व– 70 फुट इधर खेत श्री होरीलाल
पश्चिम–70 फुट इधर गैत नौहरा श्री गुलाबसिंह

निगरानी कर्ता संख्या 3 से 6 को किये पटटे के हदूद अर्वा निम्न प्रकार है–

उत्तर–96 फुट इधर सडक आम सरकारी
दक्षिण–96 फुट इधर खेत श्री टोडरसिंह
पूर्व– 72 फुट भूखण्ड श्री होरीलाल
पश्चिम–72 फुट इधर भूखण्ड श्री होरीलाल

दोनों भूखण्ड नौहरा/गैतों पर निगरानी कर्तागण के दो पृथक–पृथक दावे दीवानी न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान सरकार के विरूद्ध दायर किये हुये है जिनमें उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये हुये है क्योंकि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी सरकारी होना कह रहे है पाबन्दी आदेशजारी होते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। ग्राम पंचायत नियम 162 के अन्तर्गत कोई पटटा जारी करने का अधिकार व शक्तियां प्राप्त नहीं है निगरानी कर्ता उक्त विवादित भूमि पर काबिज है जिन्हें अभी तक किसी के द्वारा बेदखल नहीं किया गया है उनके कब्जे के सरथरम सिविल न्यायालय का अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध सिविल न्यायालय के आदेश की अवहेलना में खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व निगरानी कर्तागण को कोई

सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है एकपक्षीय तरीके से मनमाने रूप से व्यवहारिक परिणाम का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय में भारी त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की निगरानी कर्ता को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.06.2011 को ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस देने पर हुई है तो निगरानी कर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल हेतु दिनांक 22.06.2011 को आवेदन किया उसी राज नकल प्राप्त होने पर आदेश तहत की जानकारी हुई है। जानकारी होने के दिन से निगरानी अन्दर 90 दिवस पेश की जा रही है।

इस प्रकार निगरानीकर्तगण द्वारा निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आादेश ग्राम पंचायत सुनारी का दिनांक 28.09.2011 निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तहत पत्रावली तलब की गई, जो संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए।

अपीलार्थी उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार है—

निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत सुनारी के आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरुद्ध यह हस्तगत निगरानी पेश की है। निगरानीकर्तागण का मुख्य कथन यह रहा है कि जिस जगह पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र सुनारी हेतु जमीन का पट्टा आवंटन करने के लिए अनुमोदन किया है उस जगह की बाबत ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा निगरानीकर्तागण को दिनांक 07.07.2003 को मकान हेतु यह पट्टा जारी कर दिया है। इसलिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र हेतु उक्त जमीन का पट्टा नहीं हो सकता और निगरानीकर्तागण को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया है।

ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव सं0 4 में यह प्रस्ताव लिया गया है। उक्त प्रस्ताव में इस कथन का भी जिक्र किया गया है कि दिनांक 16.07.2010 को निरस्त किये गये पट्टों के अलावा अन्यत्र कोई जगह नहीं है। इसलिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लिए उसी जगह में 45X100 फुट नाप का पट्टा आवंटन करने के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। आदेश से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण के हक में जो पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये थे उनको ग्राम पंचायत दिनांक 16.07.2010 को निरस्त कर दिया है। वर्तमान में निगरानीकर्तागण के हक में निष्पादित पट्टों का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा है। निगरानीकर्तागण द्वारा अपने हक में हुए पट्टों का हवाला देकर आदेश दिनांक 28.03.2011 को निरस्त कराना चाहा है जबकि कानूनन जब

निगरानीकर्तागण के पट्टे ही निरस्त किये जा चुके हैं तो इन निरस्त हो चुके पट्टों के आधार पर निगरानीकर्तागण का कोई स्वामित्व निगरानीधीन जगह की बावत रहा है और न ही निगरानीकर्तागण को कोई निगरानी पेश करने का अधिकार ही रहा है। निगरानीकर्तागण द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि उन्होंने आदेश दि0 16.07.2010 के विरुद्ध कोई अपील पेश की हो, जिसमें उक्त आदेश निरस्त हुआ हो। ग्राम पंचायत सुनारी का आदेश दिनांक 16.07.2010 अंतिम हो चुका है।

पत्रावली पर गौर करने से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा आदेश दि0 28.03.2011 से राजीव गांधी सेवा केन्द्र हेतु जमीन का आवंटन किया है। जिसके जरिये ग्राम पंचायत के आम जन को सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाती हैं। निगरानीकर्तागण का उद्देश्य राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण में मात्र बाधा उत्पन्न करना ही प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official